# Government of Uttarakhand Office of the District Magistrate : Chamoli

No.:-

Dated :- 20-05-2016

### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.97 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzi-Dwing Motor Road. C.M. Announce, Length 8.90 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

#### It is further Certified that:

SN		
	The state of the st	Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.97 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes, and other traditional
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest 51.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	road is affixed in the forest file.  Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(Vinod Kumar Suman) (District Magistrate Chamoli)

वमोली

**DM FRA Letter** 

## Government of Uttarakhand Office of the District Magistrate : Chamoli

No.:-

Dated :- 20-05-2116

#### TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.97 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzi-Dwing Motor Road. C.M. Announce, Length 8.90 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that:

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.97 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(Vinod Kumar Suman) (District Magistrate Chamoli)

वमोली

DM FRA Letter

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी—हयूणा—पोखनी—लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी० एस० पी० राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी—हयूणा—पोखनी—लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3:97 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय सिमित तहसील चमोली की दि. 10 3 15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार है:—

1- श्री <u>प्रिप्तेप तुम्भर नेपाल्य</u> उपजिलाधिकारी अध्यक्ष 2- श्री उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य समाज कत्याण अधिकारी, सदस्य समाज कत्याण अधिकारी, सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य से से स्वरं के स्वरं

उपखण्ड सचिव द्वारा मान**िक खड़** स्थों: की मके ल्यांगत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी० एस० पी० राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी—हयूणा—पोखनी—लांजी से द्वींग मोटर मार्ग निर्माण हेतु ........... हे॰ वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा॰ सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लिम्बत नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा॰ सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

स्मिलिए धिनसी अध्यक्ष वासीय

उप प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक्त समाजाक्रक्याणा आधिकीशारी सहस्य अस्तिबीमठ ।

वी.डी.न

विव वा

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी–हयूणा–पोखनी–लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

## वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी ह्यूणा पोखनी—लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3:9.7... हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 7:: ... है० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3..9.7. हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपितत नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



कम	ग्राम सभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियो के नाम	
संख्या	त्राम तमा न उपास्थत वारश्ढ ग्रामवासिया क नाम	हस्ताक्षर
1	टित-ट सिंह	29
9	yel les	(1,5052
2-	बलवन्त सिंह	2711615
3-	दिनेश सिंह	constilla
4-		e By My
5	वीरन्द्र स्टि	Birendra
6-	31	
7	339111 E	Gary
8	-4-916	
9	KER KIND	ZENZZZ
10	5° 44°	Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
11	21715	Varial -
12	महिन सिंह	www.
13	बहि मिंह	NUB 1
1	Globel KIE.	(4) 1011-18
15	2104/1214	Dan -
16	714UUV)	
17	392 218	01921212
18	19 79 182	01421E(E)
19	VIA	XX
20	Live 414E	1000
121	-J-47 THE	
(22)	16-121 BE	1248183
	3494 4	
194)	27/2/1/2	Ashish Singh
24)	उमाशाधिक रमशासिक अनुवा ( विद	Permerhe Duty
20	20100	Duty 1
		of the same
20.		म्हर्राष्ट्र शिह
	East (28 2001)	ashurt, 0 -
71	Con To	Squilles
30	(19)21 (4)E	Kover
)))	राक्षेत्र (प्रहे बालासम्ह ब्रालासम्ह	Rover Baser
32	6 .0 104-14	17-1/1844
33	Sor Swing Manchou	

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 

दिनांक	हस्ताक्षर
म ग्राम सभा म उपास्थत पार	7.1151
ख्या	6/4 G
33 दामार् प्रसाद	62 1900
34 219	MUNIA
35 STUKE	Cone 1
1773	and it The
	71505121E
37) 318.9168	11 30000
38. Ched de	HANNIE DIE
39 - 40/11/	उभारत हैंवी
	अंपाली क्या
90 Jah	सीमा द्वी
	Lovenil
12 (4111 1st)	
43 Laxent	विक्रमावह
	14931140
यप विश्वास	alish (11 ho
45 ELDINGE	VISIAIKIE III
	3 35011 291
40 FLANDE SOI.	16-121
41 421-1	Lay 19.712
US TG121TE	0 0
49 किंदन दिए	Rank
50 राज-इाउँह	200ma 3415 al
1 61 60	
	21019748
	JOK 195
73	2/7/53/27
डम जीवा सिंह (केंग्रे	
52 21951AE	- Com
रह (भूबर्र १ मह	12210 (Z)
CIVIE THE YOU	( QUOS)
S Iduly	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 9091 A	1189/64/
(9 <u>4170</u> 591.	18/2/150
60 12)0148	131011-5
61 U6H1 9H081U	Coulon S
9 9097	Chia I
62 Tacerain	Swag Bland
63- 425 9105121	Swig Orac
,	

कार्य का नाम: जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 

को गाम सभा की बैठक सम्पन्न हुई	904,
वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताप दिनांक 67-01-15 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई	हस्ताक्षर
उपस्थित हुय	. 2
कम ग्राम सभा म उपारजरा	Jogans Co
संख्या भ जागद्दीयाच्या विश्व	
	11211 ECII
2 4 (24)	कार्या है व
3 311 11 7	3+10/164
y charling	स्थिनी तथे
5 31/51/54/	317212921 291
5 92-1 50	abricultata A
PITGLES 36	सनीना देवी
(कसभ दवी	
	विना देवी
	मादीदेवी
	Angregar
	Valle
	(d) 17 401
	9492122
वाद् सिंह (30)	Kobou
Topa THE	
unide 1	Mansh
11/2/1/2/6	gadine
100	क्ष संदित् हो
90 176	क्षांस यायत पाळ
	18 EQ. 19 30 18
	(* (80 F) G) *
	BOWN HOLD
Ass.	AD OIKING
	erving and a

पंमालित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकास रवण्ड साथीम है सात्मीत न्याप पेन्यापत मिल्या जाम कीने-त्यान के सन्तेमत जाम पारती-ह्यूबा णारवनी-लॉमि से दींग तक मोर मार्ग हुत । 10, 00 कि वींग लीं मिं विं पानीप रवण्ड जीकी मह हारा निमां की जाने वाली मोटर एउंड जिसकी चौठ 6 मी व है पर ममावित नाप भूमि इसी के पातन पर हम स्माप्त गाम वासी गाम, लोजी, पोरवर्ग, ह्यूणा को कोडी आपि नहीं है और उस प्रमावित वृक्षीं का पातम कर उपयोग हम स्पाप्त कार्य कार्य करेंगे जार उन्त प्रमावित भाष पारम होने वाल वृक्षी का किसी प्रकार का जिला भी नहीं लेगा चाहते हैं ला नही ज्वाला प्राचीन्द्र कोडी दावापेश करेंगे, हिंद्व प्राप्त प्राप् समिल्यामवाप पहिला मंगल दल लाजी ग्राम- लीली वमाला उत्तराचल Biserela comacine Dayle engl पुर्व पुरु वृ पोलकी केल जोगीमत (बमोली)

पाण सुन्या प्रेन्ती द्योपना के अन्तर्गत पारवी-ह्यूना - पारवनी - लॉमी से दींग तक मोटर पार्थी निर्माण हों - प्रभावित द्यों का पालन कर उपयोग हम समान काप्तकार स्तम करेंगे,

ह० समान्याम वाली, लीकी, चारानी, हपूर्ण,

र्योति र (1 में शिक्ट्र dedias lite 71212107 VSE आशीप सिंह दिनेश सिंह चकन सिंह Bury Bhandary 469 20511

मिर्द्धितिह 3741 DING 19क्रमण्ड Behire Rosa वेरागावयू -115/210/10/ Epshura Ashish singh Joona

### समाधि प्रमान

न्यमिन निया जाता है कि पारती ह्यूना पोलनी त सीन तक पहलाविक मिट्टर मार्ज 10 km. x गर्मे के खिरी से -राउ व्ये ने तक प्रजावित तन भूमि एतं नाप श्रीम पर शाम पेन्वाधत पारती के काप्तकारों व ग्राम पेन्यापत एवं वसोन्य तन मेनापत की किसी प्रकार ऐसं ठाणीर नहीं है तथा भविष्य में विमाम हाला जी भी स्वाअजी सरकारी दर्श पन दिया जाना ठीन्नित होगा व ग्रामीको व कास्त्वारी की स्वीकार होगा. तथा छवाअद्यो जिस्तान कारनकारी की कठले छहलार व हिल्ला अठलार किसका व्येत होगा की निक्या जाय तथा निकाल होने वाले मीट्य भागे पा नव निमाण कार्य कर गामील वियोजायी की पाचीमकता दियां जाय तथा की नाप श्रीम मिर्माण कार्य में मम्ब आदि की दीमी व हित्यात्य होगी का यो गार्याण कारत्वारों की देना होगा उन्ही छाव्यों की क छोगे भि च्यत कर जाकी हार समापि प्रमान पर् के राती में लोक निक कि की प्रान्य करना होगा. खनापि अमला एवं तेंड के में हतनीमत से पारीत कर लोट मिन विट पानीप व्यव्ह जीपेश्वर जन्मालय सोक्षिम की स्मीम कार्मवारी हैंड के बित

का स्तिहा है। जिस्से का का स्तिहा है। जिस्से का का निवास का निवास का जार का जार की का का जार की का जार की जार का जार की जार का जार की जार की

1901 PHI COICE &

हर स्ट्रियन पार्व का वसावत कु का वसावत कु

श्रीमद्राः २५८

33.0"N

0°32'0"N

30°31'0"N

30°30'0"N

30°29'0"N